IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT GWALIOR
BEFORE
HON'BLE SHRI JUSTICE RAVI MALIMATH,
CHIEF JUSTICE
&
HON'BLE SHRI JUSTICE MILIND RAMESH PHADKE

CONTEMPT PETITION CRIMINAL NO.1 OF 2014

BETWEEN:-

(IN REFERENCE)

….....PETITIONER

(BY SHRI VIVEK KHEDKAR – ADDITIONAL ADVOCATE GENERAL FOR THE STATE)

AND

SUMAN SINGH SIKARWAR OCCUPATION SAMPADAK DAINIK CHAMBAL VANI GWALIOR, R/O CHAMBALVANI PARISAR, SHINDE KI CHAWNI, LASHKAR, GWALIOR (MADHYA PRADESH)

….....RESPONDENT

(PARTY-IN-PERSON)

Reserved on : 14.03.2024

Pronounced on : 6.05.2024

This petition having been heard and reserved for orders, coming on for pronouncement this day, ***Hon'ble Shri Justice Milind Ramesh***

Phadke *pronounced the following:*

ORDER

This present contempt petition (criminal) has been initiated against respondent Suman Singh Sikarwar in pursuance to an attention drawn by Registrar J-1 (Jabalpur) to a news-item published in Hindi Newspaper "Dainik Chambal Vani" dated 11.4.2011 on the front page under the title "Sarvoch Nayalaya Aaj Ki Tarah Nishpakch ho jai to Judge Shri Mody Ji Ko Jail Mein Hona Tha". The gist of news as mentioned in the newspaper is reproduced herein below:-

"11th of April, 2011"

दैनिकचम्बल वाणी

सर्वोच्च न्यायालय आज की तरह निष्पक्ष हो जाये तो

जज श्री मोदी जी को जेल में होना था

सुमन सिंह सिकरवार, एडवोकट

ग्वालियर 10 अप्रैल। ग्वालियर में चल रहा अतिक्रमण अभियान रहस्य के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। आम नागरिकों से लेकर बड़े बुद्धीजीवियों तक को समझ में नहीं आ पा रहा है कि अतिक्रमण हटाओ मुहिम किस शतरंज की बिसात पर चाले चलकर अपनी–अपनी जीत हासिल करने जा रहा है।

हांलांकि दैनिक चम्बलवाणी इस चक्रव्यूह को भेदने और तोड़ने की जग जाहिर कोशिश बराबर कर रहा है। जिसके चलते सबको यह तो ज्ञात हो ही गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में 1940 के राजशाही बंदोबस्त–नक्शा रिकॉर्ड पर दर्ज कराने से ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो काफी लाभ पहुंचने की कोशिश हो ही रही है। हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय की डबल बैंच की दोनों माननीय विद्वान न्यायाधीशों को लेना है।

अंचल के लोग अभी रहस्य को सुलझाने में लगे हुये ही थे कि अब उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री एन.के.मोदी जी के द्वारा भी अतिक्रमण हटाओ मुहिम को लेकर कई दौर की सुनवाई के बाद फैसला सबके सामने आ गया तब फिर से अंचल के लोग रहस्य के समुद्र में गोते लगाने पर मजबूर हो गये।

यहां पर एक माननीय न्यायाधीश के नाते श्री मोदी जी का हम सम्मान करते हैं। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि अतिक्रमण हटाओ मुहिम राजशाही और लोकशाही की जीत होनी चाहिये।

निर्णय के तमाम पहलुओं पर न जाते हुये अब कुछ और ही कहना चाहते हैं जिस पर माननीय न्यायाधीश श्री मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जालसाजी कर अतिक्रमण जो करे हैं वे अभी इस मुहिम में हट सकते हैं।

प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री रहते वक्त बाबूलाल गौर ने जो मनोज श्रीवास्तव की जांच रिपोर्ट बनवाई थी उसे सुनवाई के दौरान प्रशासनिक अमला माननीय न्यायाधीश महोदय श्री मोदी जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों वह प्रस्तुत नहीं हो पाया। जबकि यह रिपोर्ट पारस पत्थर की तरह मानी जाती है। और इसकी कही पर भी प्रति उपलब्ध नहीं हो

पाती है। अतः प्रशासन ने यह हल निकाला कि क्यों न माननीय न्यायाधीश महोदय श्री मोदी जी के समक्ष पेश कर दें जिससे वह रिकॉर्ड पर आकर स्वतः ही सार्वजनिक हो जायेगी। लेकिन इसमें अत्यधिक स्तर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की उन संपत्तियों का भी जिक्र किया गया है जो जालसाजी कर या तो बेची गई है या फिर उन पर अतिक्रमण कर लिया गया है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के सम्बंध में आम व्यक्ति, अभिभाषक चर्चा अवश्य करते आ रहे हैं और देख भी रहे हैं किन्तु न्यायालय अवमानना के भय न तो शिकायत करते हैं और ना ही समाचार पत्र लिखते हैं।

विगत चार पांच माह पूर्व जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायविद वरिष्ठ अभिभाषक श्री शान्ति भूषण ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर कहा कि सर्वोच्च न्यायाल के विगत 18 मुख्य न्यायाधीश में से अधिकांश भ्रष्ट रहे हैं। उक्त शपथ पत्र बंद लिफाफे में हैं।

किन्तु माननीय न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय श्री मार्कंडेय काटजू एवं न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा ने वास्तविकता को स्वीकार करते हुये इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंकल जज एवं भाई भतीजा वाद के कारण हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करते हुये बताया कि कुछ चंद वकील न्यायमूर्ति के पुत्र, पुत्री, भाई व रिश्तेदार हैं दो चार वर्षों में करोड़ों रूपये कमा रहे हैं। बड़ी–बड़ी गाड़ी में बैठते हैं कहॉ से आ गई?

उक्त टिप्पणियों के विरूद्ध इलाहाबाद के न्यायमूर्तिगण ने सर्वोच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की तो न्यायिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त याचिका खारिज करते हुये कहा कि सबको मालूम है सब जानते हैं कौन जज भ्रष्ट है।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अध्यक्ष को प्रेमसिंह भदौरिया न अंकल जजों के ट्रांसफर करने की मांग की तो कुछ प्रयास हुए, सार्थक परिणाम भी आये किंतु मुख्य व्यक्ति नियोजित षड़यंत्र से बच गये तो सर्वविदित है।

उनके भ्रष्टाचार के चर्चे आये दिन नगर एवं न्यायालय में होते हैं। अपनी जुगाड़ से जब चाहते हैं उन्हें ग्वालियर खण्डपीठ में प्रकरणों की सुनवाई हेतु रोस्टर दिया जाता है उनके कृपापात्र धन्य हो जाते हैं। किसी हिम्मत वाले ने मुख्य न्यायाधीश श्री रफत आलम जी को भी पत्र भेजकर निवेदन किया कि ऐसे भ्रष्ट सफेदपोश लोगों के संबंधी को जिनका पुत्र अंकुर मोदी वकालत कर रहा है जिस आधार पर अन्य न्यायमूर्तिगण के ट्रांसफर किये फिर इन माननीय एन.के. मोदी का ग्वालियर खण्डपीठ में सुनवाई हेतु मत भेजे। किन्तु आये, अपनो को खूब उपकृत भी किया, वाह–वाही लूटी, अपनों को बचाया, अब आये तुड़ाई मत करो आदेश किया।

श्रीमान् जी बचे मुख्य जयविलास महल के सामने बहुत बड़ा अतिक्रमण हाथी रखकर तारफेंसिंग की है। सभी स्थानीय समाचार पत्रों ने खूब छापा। फिर भी सिंधिया के अतिक्रमण नही हटे। आम रास्ते पर अतिक्रमण के कारण रोड का कार्य अधूरा पड़ा है अन्धा मोड़ बना हुआ है। हाथी किन्तु ना तो श्रीमान् शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी को दिख रहा है और न ही बाबूलागौर जी को दिख रहे हैं। आम जनता की दुकान निवास बिना नोटिस के टूट गये।

भूखे परिवार न्यायालय से पूछ रहें हैं क्या न्याय इस प्रकार होता है। ग्वालियर शहर उजड़ रहा था तब सिंधिया अपने अतिक्रमण बचाने में लगे थे। तथाकथित सिंधिया कॉग्रेस के पार्षद व नेतागण भी उनके अतिक्रमण बचाने के लिये खासगी बाजार, गोरखी में धरना दे रहे थे। जनता पर परिषद में संपत्ति कर जल कर बड़ाया जा रहा था वहां विरोध करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उन्हें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से मतलब है। उनके चरण पकड़ने में गौरव महसूस करते है। चुनाव से पूर्व जनता के पैर छू कर वोट लिया और भूल गए अनकी सम्पत्ति टूटे टैक्स ठोके जाएं, जिन्दगी में रहे इन सबसे कांग्रेस पार्षदों को विशेष मतलब नहीं है। सिंधिया कांग्रेस के लोगों को तो बस सिंधिया के ट्रस्ट की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। हिरणवन कोठी महल की डकैती का इनाम ऐसे तथा कथितों को मिला जो कृपापात्र बनकर मलाई खा रहे हैं।

कांग्रेस की पीठ में छुरा ऐसे सिंधिया कांग्रेस के लोग भोंक रहें हैं। लोकसभा, विधानसभा, महापौर का निर्वाचन हो तब न तो ज्योतिरादित्य ने चुनाव में

विजय बनाने हेतु प्रचार किया और न ही उनके चाटूकारों ने। फिर भी यह लोग चाहे टिकिट देने का समय हो चाहे कांग्रेस में कोई पद के बारे में सर्वसम्मिति से ज्योतिरादित्य सिंधिया अधिकृत करने की वकालत करते हैं इसलिये भी चाटूकारिता कर मलाई खाएगें.।

पुत्र अंकुर मोदी

एक न्यायमूर्ति निषिद कुमार मोदी जो सब को मालूम है। सिंधिया की सम्पत्ति और शासकीय सम्पत्ति जो अवैध रूप से इनके प्रयास से सिंधिया के कब्जे में कर दोनों हाथों से लाभ उठाकर कृपापात्र बने हुये हैं। स्वयं के अलावा अब उनके पुत्र अंकुर मोदी भी सिंधिया के कृपा पात्र बना दिये है। केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति करा दी, अंकल जज की भी कृपा है। न्यायालय में उपस्थित हो या न हो हाजरी डल रही है। न्यायमूर्ति महोदय की गाड़ी उनके पुत्र अंकुर मोदी के कार्यालय पर लगी हो तो फिर क्या है मनीपावर व नसलपावर के लोग तो वैभव व गारंटी के कारण बड़े–बड़े योग्य वकीलों को छोड़कर वहां इकटठे होंगे जहां गारंटी से काम होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में जो टिप्पणियां कि है वही हाल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में ग्वालियर खण्डपीठ में है क्योंकि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री रफत आलम, साहब से खुलकर कौन बोले।

इन्दौर खण्डपीठ पदस्थ न्यायमूर्ति श्री. निषिद कुमार मोदी जो के विरूद्ध स्पेशल जज ग्वालियर में श्री अशोक वेलनकर एडवोकेट ने प्रकरण क्रं. 1630/93 दायर किया था, माननीय न्यायलय ने लोक आयुक्त मध्यप्रदेश पुलिस एस.पी. ग्वालियर को आदेश दिनांक 21.12.94 के द्वारा आपराधिक प्रकरण कायम कर जांच करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष आपराधिक रिवीजन क्रं. 93/1994 एवं प्रकरण क्रमांक 96/1994 दायर की माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.एस. त्रिपाठी के द्वारा स्पेशल जज ग्वालियर का आदेश 23.8.95 द्वारा यथावत रखा। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एस.एल.पी. नं. 4417/93 प्रस्तुत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिनांक 04.07.93 द्वारा स्पेशल जज ग्वालियर का आदेश श्री निषिद मोदी एवं अन्य के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण कायम कर जांच एस.पी.पुलिस स्टेबलिशमेंट ग्वालियर द्वारा धारा 156(3) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के तहत करने का आदेश यथावत रखा एस.एल.पी. खारिज की। उसके बावजूद भी श्री माधवराव सिंधिया ने अपने पद का दुरूपयोग कर प्रकरण कायम नहीं होने दिया। यहां की श्री निषिद मोदी कुमार मोदी एवं अन्य के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण कायम करते हुये न्यायालय की अवमानना का प्रकरण श्री अशोक वेलनेकर द्वारा न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश ग्वालियर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 1630/1993 स्पेशल केस अशोक वेलनेकर विरूद्ध हरिदास गुप्ता एवं अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किया। माननीय न्यायाधीश श्री एन.ए. सिद्दीकी जी द्वारा आदेश दिनांक आदेश दिनांक 01.12.97 द्वारा पुलिस लोक आयुक्त ग्वालियर के पुलिस अधिक्षक को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.94 एवं 05.03.97 के आदेश के अनुसार दोनो मामले का पहले प्रथक–प्रथक प्रथम सूचना रिपोर्ट नियम अनुसार पंजीबद्ध करें फिर अनुसंधान करें फिर अनुसंधान की रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान 173(2) के प्रोफॉर्मा के अनुसार धारा 169 के अनुसार न्यायालय मे प्रस्तुत करें। इसे श्री मोदी जी ने रफा–दफा करा दिया।

श्री निषिद कुमार मोदी न्यायमूर्ति श्री आर. सी. लाहोटी के संबंध में पूरा अभिभाषक समुदाय एवं नगर जानता है। माननीय न्यायमूर्ति रमेश लाहोटी श्री निषिद कुमार मोदी के निवास पारखजी के बाड़े में कई बार दाल बाटी चूरमा का स्वाद चख चुके हैं। "सईंया भये कोतवाल फिर डर काहे का" उनकी कृपा से सारे प्रमाण होते हुये भी लोक आयुक्त पुलिस की क्या हिम्मत। बेचारे अशोक वेलनेकर को फंसाकर जेल में डाल दिया। माननीय निषिद कुमार मोदी न्यायमूर्ति बन गये क्योंकि सर्वोच्च न्यायलय में न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी पदस्थ थे। यदि आज वैसे निष्पक्ष सर्वोच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति होते तो श्री एन.के.मोदी जी जेल में होते। जैसा कि माननीय न्यायमूर्ति शांतिभूषण वरिष्ठ एडवोकेट ने अपने शपथ पत्र में लिखा है कि उस समय के न्यायमूर्ति भ्रष्ट थे भ्रष्टों ने अधिकारी को न्यायमूर्ति बना दिया और शिकायतकर्ता को जेल में डाल दिया।

मंदिर श्री राम जानकी की संपत्ति

न्यायमूर्ति श्री एन.के. मोदी ने मंदिर की संपत्ति को भी नहीं छोड़ा। मंदिर श्री रामजानकी ग्राम जमनापुरा सर्वे क्रं. 159,157,482, 183,485,487.लगायत 192,494,498 लगायत 503 एवं 524 कुल किता 19 कुल रकबा 19 बीघा.11 विस्वा परगना जिला ग्वालियर को हड़पन के आधार पर न्यायिक पुजारी जो वानिया वैश्य क्या हो सकता है। हरीभऊ पुत्र बालाकिशन के नाम दर्ज बता कर स्वयं को उनका वारिस बता कर तहसील में अपना नाम दर्ज करा लिया।

पूरनबन्द शिवहरे 'मुख्तारनामा खासा'

न्यायमूर्ति श्री दिनाकरण से भी बड़े भूमाफिया हैं श्री मोदी जी। श्री निषीद कुमार मोदी ने वर्ष 2004 में न्यायमूर्ति की शपथ ली। इस पश्चात् उन्होंने न्यायमूर्ति के रूप में दिनांक 25.02.2007 को एक कुख्यात अपराधी जिसके विरूद्ध हत्या का प्रकरण हुजरात कोतवाली में वर्ष 1980 में कायम हुआ कई अन्य आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं। उनके हित में मुख्तारनामा खास 100/– रूपये स्टाम्प सी.पी. 207687 नोटरी, जो के. एन. शर्मा इनके घर के सामने ही रहते हैं, के.एन. शर्मा से अटेस्टेड हुआ। जज श्री मोदी ने उक्त मुख्तारनामा खास स्वयं को हाल निवासी इन्दौर का दर्शाया किन्तु व्यवसाय अंकित नहीं किया। स्वयं को अपने निजी कियाकलाप में व्यस्त होना दर्शाया क्या कियाकलाप करते हैं जिसमें व्यस्त रहते हैं।

यह कि एक, अपराधी पूरनचन्द शिवहरे को श्री मोदी ने इन्दौर नगर में होटल न्यू काउन सरवटे बस स्टैण्ड के पास खरीदकर दिया है। उस होटल में श्री मोदी से काम कराने हेतु पूरन शिवहरे से लोग संपर्क करते हैं । वहीं सारी डीलिंग होती है।

श्री मोदी ने सिंधिया को जमीन या शासकीय भूमि को सिंधिया के नाम इंद्राज कर सारे घोटाले श्री मोदी और पूरनसिंह शिवहरे करते हैं।जैसे शिवाजी ग्रह निर्माण समिति के नाम अवैध कॉलोनी बनाकर बेचना। सर्वविदित है शिवपूरी में पूरन शिवहरे कॉलोनी बना रहे हैं मोदी अपने पद का पूरा लाभ ले रहे हैं। सहकारी समितियां पंजीयन के अभिलेख जब्त किये जावे तो सारा भ्रश्टाचार स्पष्ट हो जायेगा।

श्री मोदी जी ने भगवान द्वारकाधीश के नाम इंद्राज भूमि भवन समिति पारख जी का बाड़ा पर स्वयं और अपनी बहन श्रीमती मिनाक्षी शाह का कब्जा कर कई प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं प्रकरण क्रमांक 59/94 अपील दिवानी न्यायाधीश श्री आर.के. जोशी से आदेश दिनांक 25.03.2005 द्वारा फर्जी वसीयत जो श्री मोदी ने अपनी बहन के नाम श्रीमती बासंती सोनी को संदेह मानते हुये आवेदिका श्रीमती मिनाक्षी शाह जो श्री एन.के. मोदी की बहन हैं उनको सोनी के स्थगन पर अपीलार्थी के रूप में उनकी मृत्यु के बाद स्थापित नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकरण में एन. के. मोदी वादी के रूप में थे।

जब श्री मोदी ग्वालियर में रोस्टर लेकर आतें हैं और ऐसे कई प्रकरणों में जो उनके स्वयं के नाम व परिवार के सदस्यों के नाम चल रहे हैं पद का दुरूपयोग कर प्रभाव डालते हैं। अब श्री मोदी जी का पारख जी के बाड़े में अतिक्रमण है। साथ–साथ सराफा तोड़ा गया किन्तु श्री मोदी जी ने अपने प्रभाव का उपयोग कर अपना अतिक्रमण नहीं तोड़ने दिया यह भी आम जनचर्चा बनी हुई है।

2. The Registrar (J-1) on going through the aforesaid title and content of the news item, found that the publication of such news is an attempt to scandalize the image of Hon'ble Judge of High Court of M.P and lowering the majesty of the Hon'ble High Court and the manner in

which the aforementioned act has been done is contemptuous in nature as the said news item had scandalized or tends to scandalize or lower or tends to lower the authority and malign the image and repute of Hon'ble Judge of the High Court. Thus, having found the Editor of News Paper 'Dainik Chambal Vani' committed a criminal contempt as defined u/s. 2 (c) of the Contempt of Courts Act, 1971, the Registrar (J-1) placed the matter before the Hon'ble the Chief Justice for approval to draw contempt proceedings against Chief Editor i.e. Respondent for publication of news item dated 11.4.2011 in the aforementioned newspaper.

3. On 20.4.2011 Hon'ble the then Chief Justice accorded the permission and directed to take further necessary action. Accordingly, a contempt criminal case No. 7 of 2011 was registered against the present respondent. On 3.5.2011 notices were issued to the Editor/ the person who was in charge of the publication of newspaper 'Dainik Chambal Vani' which was found to be located at Gwalior and he was show caused as to why criminal contempt be not initiated against him for publishing of such news item in the newspaper as referred above which prima facie amounts to criminal contempt. On 21.4.2011 when the matter was listed before Division Bench comprising of the then Hon'ble Chief Justice headed by Hon'ble Shri Justice K.K.Lahoti, he was pleased to direct that the matter be listed before another bench of which Hon'ble Shri Justice K.K. Lahoti is not a member. Thereafter the matter came to be listed before the Division Bench comprising of Hon'ble Shri Justice Ajeet Singh and Hon'ble Shri Justice Sanjay Yadav on 16.8.2017. The Division Bench passed the following order:-

"In view of the annexure (at page 53) filed along with the

> *reply dated 20.6.2011 by the non-applicant, we are not inclined to hear the matter.*
>
> *It, therefore, be listed on 12.9.2011 before a Bench in which none of us is a member".*

Likewise, on another date one of the members of the Division Bench resiled himself from hearing the matter.

4. On 13.12.2013 when the matter came up for hearing before the Division Bench comprising of Hon'ble Shri Justice Rajendra Menon and Hon'ble Shri Justice U.C. Maheshwari, the present respondent did not appear rather he sent a letter dated 6.12.2013 which was received in the office on 9.12.2013 presented by the respondent which indicated that on the earlier date of listing of the matter dated 6.12.2013 respondent had appeared and had made a submission that he is unable to come to Jabalpur on every date and therefore requested for transfer of the matter to Gwalior Bench, apart from that, another application being I.A. No. 27056/13 was filed whereby he had sought legal assistance. On the application so submitted by the respondent seeking transfer of the matter to Gwalior Bench, the matter was directed to be placed before the Hon'ble Chief Justice for appropriate orders on the administrative side and question of granting of legal assistance was also left to the discretion of Hon'ble the Chief Justice and as and when the matter was placed before Hon'ble the Chief Justice on 13.01.2014 the request of the respondent-contemnor was acceded to and the matter was transferred to Gwalior Bench and accordingly came to be registered at Gwalior as contempt petition criminal no. 1/ 2014. On 10.3.2014, the matter was heard and the reference was admitted for hearing. Today the matter has come up for hearing.

5. At the outset, though the respondent-contemnor who is present in

person had tried to withdraw all his pleadings with regard to merits of the reply and orally submitted that his unconditional apology may be accepted but he stuck to his statement made in the reply and the additional reply.

6. From the very appearance of the respondent-contemnor before this court, it appears from his attitude that there is no repentance of any kind on his face and just for the sake of apology he had made a regretful acknowledgment of the offence, which appears to this court not bona fide. The aforesaid act of seeking apology appears to be just for the sake of it, as he had glued himself with the allegations leveled against the then sitting judge/judges of the High Court and had tried to justify his stand, the regret which respondent-contemnor had shown are just in words and not imbibed in his deeds.

7. The question thus arises for consideration before this court is whether the news item published in 'Dainik Chambal Vani' dated 11th of April, 2011 in respect of the then sitting judge of this court comes within the purview of definition of criminal contempt as defined under section 2 (c) of the Contempt of Courts Act, 1971 or not. For relevant considerations, the provisions of Section 2(c) of the Contempt of Courts Act are required to be seen, which is reproduced herein below:-

> *"(c) "criminal contempt" means the publication (whether by words, spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise) of any matter or the doing of any other act whatsoever which—*
> *(i) scandalises or tends to scandalise, or lowers or tends to lower the authority of, any court; or*
> *(ii) prejudices, or interferes or tends to interfere with, the due course of any judicial proceeding; or*
> *(iii) interferes or tends to interfere with, or*

> *obstructs or tends to obstruct, the administration of justice in any other manner;"*

8. From the bare reading of the aforesaid section, it could be observed that any act or tendency to scandalize the Court or tendency to lower the authority of the Court or tendency to interfere with or tendency to obstruct the administration of justice in any manner or to challenge the authority or majesty of a Court would amount to criminal contempt of Court if the news item with headline "Sarvoch Nayalaya Aaj Ki Tarah Nishpakch ho jai to Judge Shri Mody Ji Ko Jail Mein Hona Tha" is analyzed in the above context, to this court it virtually appears to scandalize the image of the then sitting Judge Shri Mody and functioning of this Court. Further, the respondent had not stopped there, apart from the said news item, the respondent-contemnor along with his reply dated 20.6.2011, additional reply dated 26.7.2011 and affidavit dated 09.09.2011 had tried to justify the said news items published in newspaper 'Dainik Chambal Vani', which though did not pertain to Judge Shri Mody but bear certain articles published in newspapers regarding the judiciary which though are not subject matter of the present reference, but is required to be discussed here, as on the face of it, it would amount to scandalize the image of judiciary. This, very intent and action of the respondent-Contemnor reflects that his apology is in mere words, otherwise, he has no repentance from the core of his heart.

9. From perusal of the reply submitted in the form of affidavit dated 20.6.2011, the additional reply dated 26.07.2011 and affidavit dated 09.09.2011, it is observed that the respondent-contemnor had leveled allegation against Judge Shri Mody as well as the other judges of this Court in a very curt language and had annexed along with these replies,

the copies of certain orders, the news items in different papers which runs into pages and had levelled serious allegation against them. The extracts of affidavit dated 20.06.2011, additional reply dated 26.07.2011 and affidavit dated 09.09.2011 for reference are produced herein below:-

"माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक (क्रिमिनल कन्टेम्प्ट) 1/2014

(कारण बताओ सूचनापत्र क्रमांक डीए/सीओएन/7//2011 जबलपुर दिनांक 6–5–2011)

:: शपथ–पत्र ::Dated-20-06-2011

मैं, सुमनसिंह सिकरवार, उम्र 42 वर्ष पुत्र स्व0 श्री प्रेमसिंह जी, संपादक एवं प्रकाशक, चम्बलवाणी समाचारपत्र (जो गत 39 वर्षो से प्रकाशित हो रहा है) ग्वालियर निवासी – चम्बलवाणी परिसर शिन्दे की छावनी, लश्कर ग्वालियर शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1– यह कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (स्वतंत्रता के 66 वर्षो में भारत में भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद चरम सीमा पर बढ़ गया) निर्भीक निष्पक्ष मुख्य न्यायमूर्ति महोदय द्वारा प्रथम बार न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संबंध में सार्वजनिक रूप से न्यायमूर्तिगण एवं अभिभाषकगण को चेतावनी दी की कि –"काले कोट" में भ्रष्ट लोगों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिये।" समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है।

2– यह कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु समय पर केन्द्र सरकार एवं न्यायालयों को स्पष्ट रूप से आगाह ही नही किया, बल्कि यहाँ तक कि कहा कि '80 प्रतिशत जज भ्रष्ट हो गये हैं।' तब मुझे लगा कि मैं भी पत्रकार के नाते भ्रष्टाचार को उजागर करूँ, और मैंने निर्भीक होकर दस्तावेजों के आधार पर एक ऐसे न्यायमूर्ति श्री मोदी जी के बारे में लिखा, जो वर्षों से हर प्रकार से भ्रष्टाचार करने के उपरांत भी अपनी पहुँच का लाभ उठाकर अपराध करने के बावजूद भी बच रहे हैं। जज श्री दिनाकरन के विरूद्ध महाअभियोग लगा, किन्तु न्यायमूर्ति श्री मोदी जी के विरूद्ध लोकायुक्त पुलिय को न्यायालय द्वारा प्रकरण कायम कर जाँच कर, रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक यथावत् रहा, किन्तु जज श्री मोदी जी को माननीय न्यायमूर्ति श्री लाहोटी एवं राजनैतिक संरक्षण दिवगंत श्री माधवराव सिंधिया, एवम् श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्राप्त, है, जो सर्वविदित है। माननीनय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, उच्च न्यायालय एवं न्यायालय स्पेशल जज प्रकरण एवं जाँच प्रतिवेदन, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज कें पारित आदेश की प्रतियां संलग्न है।

<u>–एनेक्श्चर आर–1 से 4</u>

3– यहकि, जज श्री मोदी जी के भूमाफिया अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पूरन शिवहरे के संबंध का प्रमाण उसके हित में दिनांक 25–2–2007 को जज श्री मोदी जी ने मुख्त्यारखास स्टाम्प नं0बी 207697 पर मोदी जी ने कैलाशनारायण शर्मा द्वारा दिनांक 25–2–2007 को तस्दीक की जो संलग्न प्रस्तुत है।

–ऐनेक्श्चर आर–5

4– यह कि, भू–माफिया पूरनचन्द शिवहरे पुत्र श्री मोहनलाल निवासी खूबी की बजरिया पुराने हाईकोर्ट के पास, वर्तमान् में विनयनगर ग्वालियर, जज श्री मोदी का मुख्त्यारखास होकर इन्दौर में श्री मोदी जी का "न्यू क्राउन होटल" इन्दौर का भी प्रबंधन कर रहा है। साथ ही शिवपुरी में कॉलोनी बनाकर प्लॉट बेच रहा है। इन्दौर में भी प्रोपर्टी का व्यवसाय जब श्री मोदी जी इन्दौर में पदस्थापना हुई तब से कर रहा है। इसी प्रकार विवादित–शिवाजी नगर गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित जिसका पंजीयन क्रमांक 66 दिनांक 23–6–76 है का अध्यक्ष पूरन शिवहरे जज श्री मोदी की कृपा से बन गया है इस सहकारी संस्था के विरूद्ध श्री सुरेश रा0 मुले एडवोकेट द्वारा

शिकायत दिनांक 17 मार्च 1990 को म0प्र0 शासन को की थी, जिस पर जाँच में जो तथ्य सामने आये उनके आधार पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 12/1990 धारा 120 बी, 420,467,468 भा0दं0विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

5— यह कि, अन्य शिकायत के आधार पर प्रकरण क्रमांक 15/1990 धारा 25, 26,27 एवं 30 म0प्र0 विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचार आचरण निवारण अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत संस्था के पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें न्यायालय सी0जी0एम ग्वालियर के समक्ष चालान प्रस्तुत हुए। जिसमें श्री मोदी जी का भी नाम है।

6— यह कि, एक अन्य प्रकरण क्रमांक 806/1996 एवं 2881/90, 790/96 इ0फौजदारी श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, ग्वालियर के समक्ष विचाराधीन रहे, उक्त तथ्य स्वयं भूमाफिया पूरन शिवहरे ने दिनांक 26—9—2010 के लिखित में जाँच अधिकारी संस्थाऐं ग्वालियर को प्रस्तुत किया जो संलग्न है।

<u>एनेक्श्चर आर—6</u>

7— यह कि, शिवाजीग्रह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित क्रमाक 66 दिनांक 23—6—1976 के निर्वाचन आमसभा दिनांक 12—2—2007 अध्यक्ष—उपाध्यक्ष की बैठक दिनांक 19—2—07 प्रस्तुत है , जो संलग्न है।

<u>एनेक्श्चरआर—7</u>

जज श्री मोदी के बहनोई श्री राजेन्द्र शाह पुत्र श्री गोवर्धनदास, पारखजी का बाडा, ग्वालियर संस्था के उपाध्यक्ष है, जो जज श्री निशीथ कुमार मोदी जी की बहन है श्री मति मीनाक्षी शाह के पति हैं।

यह कि श्री माधव रत्नपारखे पुत्र श्री दलपत रत्नपारखे, निवासी पारख जी का बाडा जज श्री मोदी जी के परिसर में रहते हैं। सिंधिया जी एवं जज श्री मोदी जी का धन राशि का हिसाब इन्हीं के द्वारा होता है। जज श्री मोदी के फोन एवं मोबाइल न0 से श्री माधव रत्नपारखें के फोन नम्बर 0751—232917 एवं 2620590 की कॉल डिटेल एवं पूरन शिवहरे के मोबाइल नम्बर 9301101509 एवं 9827327327 की कॉल डिटेल आज भी कोर्ट में मंगाई जाकर न्यायालय की सुरक्षा में ली जाकर, इन लोगों के मध्य हुई चर्चा से स्पष्ट हो जाएगा कि जज श्री मोदी जी न्यायमूर्ति के रूप में क्या कर रहे हैं? शिवाजी ग्रहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित जयविलास परिसर ग्वालियर का निर्माण जज श्री मोदी जब वकालत करते थे, उनके द्वारा ही किया गया था, सिंधिया की भूमि को सींलिंग एक्ट से बचाने हेतु एक ही दिन में 400 से 500 रजिस्ट्रीयां की गई थी, जो सर्वविदित है। उसमें कई न्यायमूर्ति एवं वरिष्ठ अधिकारियों , वकीलों को उपकृत किया गया है।

यह कि, सहकारी संस्था में रजिस्टर्ड गृहनिर्माण समिति में उन्हीं लोगों को सदस्य बनाकर भूखण्ड दिये जा सकते हैं, जो भूमिहीन हो उनका नगर या प्रदेश में भूखण्ड ना हो इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना विधि के प्रावधान के अनुसार आवश्यक है।

यह कि, उक्त शिवाजी गृहनिर्माण सहकारी संस्था को 5 लाख वर्गफीट भूमि श्री माधवराव सिंधिया द्वारा रूपये 6,45,000/— रूपये में शिवाजी गृहनिर्माण सहकारी समिति को बेची। किन्तु उक्त भूमि के सर्वे नम्बर विक्रयपत्र में अंकित नहीं है, डायवर्सन नहीं किया गया व अन्य कई अवैधानिकताएं स्पष्ट है, किन्तु इनके विरूद्ध कोई कार्यवाहीं क्यों नहीं हुई ? स्पष्ट है पिता श्री माधवराव सिंधिया द्वारा बेची गई भूमि का भूखण्ड लेने वाला शिवाजी गृहनिर्माण सहकारी समिति के सदस्य क्रमशः निम्नानुसार हैं :—

सर्वश्री —

1—श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र श्री माधवराव सिंधया सदस्य क्रमांक 114

2—कु. वन्दना लाहोटी पुत्र श्री आर.सी. लाहोटी सदस्य क्रमांक 100

3—श्रीमती प्रियवंदा राजाकरणसिंह जम्मू कशमीर सदस्य क्रमांक 116

4—श्रीमती शीला मोदी पत्नी श्री निषीदकुमार मोदी पारखजी का बाड़ा सदस्य क्रमांक

97
5–श्रीमती जयबनी देवी पत्नी श्रीमदनलाल मोदी सदस्य क्रमांक 238
6–श्री राजेन्द्र शाह पुत्र श्री गोवर्धनजी शाह बहनोई श्री एन.के. मोदी सदस्य क्रमांक 104

क्या जज श्री मोदी जीने उक्त भूखण्डों को अपनी घोषित सम्पत्ति में स्पष्ट किया है ? जाँच का विषय हैं।

8– यह कि, एतिहासिक कोटेशवरमंदिर की भूमि को भी इन लोगों ने बेच खाया। माननीय उच्च न्यायालय में याचिकां क्रमांक डब्ल्यूपी नं. 2030/03 रघुवर दयाल पाठक–विरूद्ध स्टेट दिनांक 30–04–04 में श्री मोदी जज एवम् उनके पुत्र अंकुर मोदी जूनियर विजय सुन्दरम ने इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की कि उक्त मंदिर की भूमि को विक्रय नहीं करेगे, उसके बावजूद भी विक्रय कर दी। अण्डरटेकिंग आ आदेश प्रस्तुत है।

<u>Contempt न बनने संबंधी अन्य स्पष्टीकरण :–</u>

8– यह कि, जज श्री मोदी जी ने अभी तक शपथपत्र पर उक्त समाचारपत्र में छपी वास्तविकता का खण्डन तक नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है कि मेरे द्वारा जो समाचार छापा गया है, वह पूर्णतया सही है। सत्य समाचार जो दस्तावेजों से प्रमाणित व संबंधित है पर कार्यवाही न्यायोचित नहीं है।

9– यह कि, सत्यमेंव जयते के आधार पर जहॉ न्यायपालिका सम्माननीय है वही इसी में पूर्ण आस्था व विश्वास रखते हुए मैंने सत्य समाचार प्रकाशित किया। मेरी इसमें किसी भी तरह से यह मंशा नहीं थी कि न्यायपालिका की कोई अवमानना हों। न ही मेरे द्वारा को अवमानना नहीं है।

10– यह कि, न्याय पालिका में मेरे द्वारा पूर्ण विश्वास रखते हुए ही प्रमाण के आधार उक्त समाचार प्रकाशित किया था जिससे न्यायप्रक्रिया में भ्रष्टाचार को मिटाने में सहभागी बन सकूँ। किन्तु प्रकाशित इबारत में कोई त्रुटि हुई है तो हम भूलसुधार करते है।
11– यह कि, भारतीय संविधान और न्यायपालिका के गौरवशाली प्रकिया के चलते हमारा मामला जिस तरह स्वयं संज्ञान में लिया है, जिससे हमें और मजबूती मिलती हुई प्रतीत हो रही है कि समाचारपत्रों की खबरों को आज भी संज्ञान में लिया जा रहा है। किन्तु माननीय न्यायालय से उम्मीद है कि जो प्रमाण प्रस्तुत किये हैं उसके आधार पर संबंधित के विरूद्ध भी कार्यवाही होना आवश्यक है।

12– यह कि, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि भ्रष्टाचार को निर्भीकता से उजागर करने वाले को संरक्षण दिया जावे। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिसका हमने भी उक्त समाचार के लिए जानकारियाँ प्रमाण संग्रहित व एकत्र की थी।

12– यह कि, जिस तरह हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया है, उसमें हमारा एक मात्र आशय यह था कि वर्तमान् जिस तरह सर्वोच्च न्यायलय न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ रहा है उसी तरह पूर्व में भी इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस भ्रष्ट लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करता तो आज इन भ्रष्ट लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता, वर्तमान् माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान में लेकर इन जज पर कार्यवाहीं कर सके तो न्याय व्यवस्था में आम जनता को विश्वास बढेगा।

13– यह कि, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी शो–कॉज नोटिस में दिनांक 11 अप्रैल 2011 के दैनिक चम्बलवाणी की प्रथम पेज की हेडलाइन्स को आधार बनाते

हुए हमें अपना बचाव रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

14– यह कि, हेड लाइन्स (शीर्षक) समाचार का संदर्भ और निचौड़ होता है व विषयवस्तु का विवरण विस्तृत सप्रमाण पुष्ट समाचार से स्पष्ट होता है।

15– दिनांक 11 अप्रैल 2011 के दैनिक चम्बलवाणी के प्रथम पृष्ठ की हैड लाइन्स (शीर्षक समाचार) हैं–
अ–"सर्वोच्च न्यायालय आज की तरह निष्पक्ष हो जाये तो जज श्री मोदी को जेल में होना था"
– से आशय समाचारपत्र में पूरा लेख है वह प्रमाण सहित है।

ब–पुत्र अंकुर मोदी,
– से आशय भ्रष्टाचार तरीके से पुत्र अंकुर मोदी को असिस्टेण्ट सोलिसीटर जनरल बनवाया अन्यथा वह इस लायक नहीं है और वकालत में भी बहुत जूनियर है। एक वरिष्ट विनोद कुमार शार्मा एडवोकेट जिनका कार्यकाल 2012 तक नियत था को हटवाकर एक जज ने अपने पुत्र को उक्त पद पर बैठाया व वही अपनी पत्नि श्रीमती शीला मोदी को उपभोक्ता संरक्षण फोरम में सदस्य बनवाया कैसे ? क्या यह न्यायमूर्ति ने अपने पद का दरूपयोग कर किया है ?

—

<u>ऐनेक्श्चर आर/9</u>

स– मंदिर श्री रामजानकी संपत्ति से आशय जो शासकीय है, उसे हड़पने के लिये भू–माफिया अपराधी पूरनचन्द शिवहरे, को मुख्त्यारनामा नियुक्त किया है – **<u>ऐनेक्श्चर आर/10एवं11</u>**
द– पूरनचन्द शिवहरे, मुख्त्यारनामा खास

इ– श्री निशीथ मोदी और उनके पुत्र अंकुर मोदी की देखरेख में सिंधिया की उक्त संपत्तियां – से आशय – उक्त शासकीय संपत्तियों को पूरनचन्द्र शिवहरे के द्वारा बेच रहे हैं।

य– इलाहाबाद हाईकोर्ट की याचिका खारिज– सुप्रीमकोर्ट ने कहा – सब जानते हैं कौन जज है भ्रष्ट? – से आशय माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस हेतु बधाई के पात्र हैं।

र– न्याय बेचेन वालों पर गिर सकती है गाज – प्रदेश में भी कई अंकल जज –

से आशय राजएक्सप्रेस समाचारपत्र में प्रकाशित

ल– भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिये इलाहबार हाईकोर्ट की गुहार – हे भगवान!मदद कर–सुप्रीमकोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट की पीड़ा छलकी।

– से आशय इलाहबाद हाईकोर्ट के विरूद्ध सुप्रीमकोर्ट ने कहा – हे भगवान्! मदद कर।

व– भ्रष्टाचार पर की गई टिप्पणी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की याचिका – 'दाग' हटवाने सुप्रीमकोर्ट पहुॅचा हाईकोर्ट–सुप्रीमकोर्ट ने कहा था – ''यहॉ काफी कुछ गड़बड़ है, साफ–सफाई की जरूरत है।''

– से आशय अपने आप में स्पष्ट है।

श– आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला–पूर्व सीजेआई के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट ने मॉगी रिपोर्ट

– से आशय अपने आपमें स्पष्ट है।

र– ग्वालियर का गौरव मथुरा के द्वारिकाधीश–से आशय जस्टिस मोदी की पत्नि श्रीमती शीला मोदी स्वयं इस लेख की लेखक हैं। जिन्होंने तत्कालीन महाराज दौलतराव सिंधिया से जोड़ते हुए अपने पति श्री एन0के0मोदी जी को दसवी पीढ़ी को वंशज बताकर म0प्र0 उच्च में न्यायमूर्ति के रूप में प्रदर्शित है।

न्यायालय में भी अपनी बहन श्रीमती मीनाक्षी शाह से प्रकरण दायर कराया हुआ है जिसमें स्वयं श्री मोदी जी ने कथन दिये थे।

इस प्रकार ग्वालियर का द्वारिकाधीश मंदिर–पारखजी का बाड़ा जो औकाफ की संपत्ति पर जज श्री मोदी ने कब्जाकर रखा है।

शासकीय अभिलेख औकाफ विभाग का रिकॉर्ड **ऐनेक्श्चर आर/12** है।

प्रार्थना :–

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये वक्तव्य – भ्रष्ट जजों एवं वकीलों जो काले कोट में राजनैतिक संरक्षण प्राप्त कर हर प्रकार से अवैध व अनैतिक कार्य कर बच रहे हैं"– ऐसे भ्रष्ट सफेदपोश व काले कोटवालों के विरूद्ध कार्यवाहीं की जाना चाहिये व सार्वजनिक रूप से उनके कृत्यों को आम जनता को बताने हेतु निष्पक्ष पत्रकारिता आवश्यक है। जिसके कर्त्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए समाचार प्रकाशित हुए है जो कि स्वयमेव स्पष्ट है। अत : माननीय न्यायालय से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि मरे जबाव को रिकॉर्ड पर लिया जाकर भ्रष्ट जज श्री एन0के0मोदी के विरूद्ध अतिशीघ्र कार्यवाही की जाने की कृपा की जावे। सर्वोच्च न्यायालय को प्रकरण प्रेषित किया जाना उचित होगा।

माननीय न्यायालय को मेरे समाचारपत्र में हेडलाईन्स "जज श्री मोदी को जेल में होना था" के संबंध में उनके द्वारा जो गलत कार्य किये गये है और जज के पद पर रहते हुए अपराधी भूमाफिया पूरन शिवहरे से संबंध उसके हित में पॉवर ऑफ एटोर्नी देना क्या दर्शाता है? जिसके संबंध में दस्तावेज मैंने प्रस्तुत किये हैं, उनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप मैंने छापा है। माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता हूॅ कि मेरे विरूद्ध माननीय न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में ना रखते हुए मेरे विरूद्ध जारी अवमानना का प्रकरण न्यायहित में निरस्त की कृपा की जावे।

इति,दिनांक 20–6–2011 सुमनसिंह सिकरवार

संपादक एवं प्रकाशक

दैनिक चम्बल वाप्पी ग्वालियर म0प्र0

सत्यापन

मैं, शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूॅ कि जबाव में वर्णित इबारत मेरे निजी ज्ञान एवं प्रस्तुत ज्ञान एवं प्रस्तुत एनेक्श्चर के आधार पर सत्य है मैंने न तो कुछ असत्य लिखा है ना ही छुपाया है वर्णित संलग्न ऐनक्शर दस्तावेजों की नोटराईज्ड प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत है जो इस जबाव का आवश्यक अं अंगहोकर पूर्णतः सत्य व सही है।

इति,दिनांक 20–6–2011

स्थान : ग्वालियर म0प्र0

हस्ताक्षर सत्यानकर्ता

सुमनसिंह सिकरवार

संपादक एवं प्रकाशक

दैनिक चम्बल वाणी ग्वालियर म0प्र0

Additional reply dated 26.07.2011

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 1/2014 क्रिमिनल कन्टेम्प्ट

आवदेक म0प्र0 शासन

विरूद्ध

अनावेदक सुमनसिंह सिकरवार,
संपादक दैनिक चम्बलवाणी, ग्वालियर

::**एडीशनल जबाव**::**Dated 26-07-2011**

मैं, सुमनसिंह सिकरवार पुत्र स्व0 श्री प्रेमसिंह जी सिकरवार आयु 42 वर्ष, व्यवसाय सम्पादक दैनिक चम्बलवाणी समाचार पत्र निवासी शिन्दे की छावनी लश्कर ग्वालियर शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ। कि:–

1 – यह कि, प्रजातंत्र में पत्रकार समाचार पत्र चौथा स्तंभ माना जाता है । पत्रकार की प्रमुख भूमिका होती है। निर्भीक, निष्पक्ष, सत्य समाचार प्रमाण सहित छापकर आम जनता तक वास्तविकता को पहुॅचाना ही मुख्य उद्देश्य होता है।

2– यह कि, भ्रष्टाचार के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना को एवं उनके द्वारा समय समय पर भ्रष्टाचार के विरूद्ध की गई टिप्पणी जैसे –

एक–'' सुप्रीमकोर्ट ने सीवीसी थॉमस से पूछा– आपकी नियुक्ति क्यो ने रद्द कर दी जाए''

दो– ''भ्रष्ट जजों को बाहर फेंको''

तीन –''न्यायाधीश सैमित्र सेन दोषी पाए गए''

(संलग्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की छाया प्रतियां **<u>प्रदर्श पी 1 संयुक्तत: 3</u>** पृष्ठ)

को प्रमुख समाचार पत्रों में पढकर एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर सुनकर देखकर मेरे मन में भी न्यायपालिका में एक एडवोकेट महोदय द्वारा जब वह वकील की हैसियत से भ्रष्टाचार कर अपने राजनैतिक पहुॅच से बेईमानी कर बचते रहे और न्यायमूर्ति भी बन गये, उसके बाद भी उन्होंने विभिन्न प्रकार से भ्रष्टाचार कर पद का खुले आम दुरूपयोग किया। कई शिकायतों के बावजूद उन पर कोई कार्यवाही नहीं कि गई बल्कि वह स्वंय भ्रष्टाचार करते रहे और कर रहे है। इसके साथ की अपराधियों को संरक्षण भी देकर उन्हें उपकृत कर रहें है।

एक उदाहरण–

ग्वालियर शहर के सफेद पोश अपराधी हर्ष गुप्ता शब्द प्रताप आश्रम निवासी माननीय जज श्री एन0 के0 मोदी के अभिन्न मित्र हैं, श्री हर्ष गुप्ता वर्ष 1993– 94 में '' कत्था काण्ड'' में अभियुक्त थे। उन्होंने फोरेस्ट के कत्थे के पेड़ कटवाकर बेच दिये थे। पुलिस थाना बहोडापुर ग्वालियर में अपराधिक

प्रकरण कायम हुआ। श्री हर्ष गुप्ता गिरफ्तार हुए, उन्हें छुडवाने के लिये एडवोकेट श्री निषीथ कुमार मोदी ने तत्कालीन अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट को प्रलोभन दिया जब वह उनके दबाव में नहीं आये तो उन्हे पद से हटवाने की थौंस भी दी थी।

श्री हर्ष गुप्ता की तीन माह तक जमानत नहीं हो सकी, तो माननीय उच्च न्यायालय में तत्तकालीन शासकीय अभिभाषक श्री हरिदास गुप्ता एडवोकेट जो श्री मोदी के साथ लोक आयुक्त पुलिस के प्रकरण में अपराधी थे, उनसे '' नो ओब्जेक्शन'' कहलवाकर श्री हर्ष गुप्ता की जमानत कराई थी।

3– यह कि, श्री हर्ष गुप्ता जज श्री एन0 के0 मोदी के अभिन्न मित्र हैं। उन्होंने बैंक का कर्ज नहीं पटाया, उनके विरूद्ध डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल जबलपुर द्वारा गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया। माह 30 जुलाई 2010 को उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जबलपुर पेश किया । उक्त प्रकरण की पैरवी जज श्री मोदी के पुत्र श्री अंकुर मोदी ,एडवोकेट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों में की जा रही है।

4– यह कि, जज मोदी ने अपने मित्र अपराधी हर्ष गुप्ता की जमानत प्रकरण क्रमांक 3671/09 हर्ष गुप्ता विरूद्ध म0प्र0 शासन दिनांक 08–06–2009 को सुनवाई में जज श्री बी0एम0 गुप्ता जी के समक्ष नियत हुई, उन्होंने व्यक्तिगत कारण से उक्त याचिका अन्य न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु आदेश दिये।

जज श्री एन.के. मोदी ग्वालियर खण्डपीठ में रोस्टर पर आये दिनांक 24.09.

2009 को । उन्होंने अधिनस्थ न्यायालय की सुनवाई को स्टे किया। उसके पश्चात् दिनांक 30.11.2009 को जज श्री द्विवेदी जी के न्यायालय में समय मॉग कर प्रकरण में पेशी बढ़वा ली उसके पश्चात् जज श्री मोदी जी के ग्वालियर रोस्टर की प्रतीक्षा में प्रकरण लम्बित है– स्टे जारी है। भ्रष्टाचार का प्रमाण प्रस्तुत है **ऐनेक्श्चर पी/2** पृष्ठ संलग्न है।

5– यह कि, श्री हर्ष गुप्ता जज श्री मोदी के अभिन्न मित्र हैं, उनके सारे मुकदमों में श्री मोदी एडवोकेट थे, जबसे पैरवी करते थे। अब श्री मोदी के पुत्र श्री अंकुर मोदी पैरवी करते हैं। जिसका प्रमाण उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में है।

6– यह कि, श्री हर्ष गुप्त प्रापर्टी डीलर व भूमाफिया है। इनके द्वारा सिटीसेण्टर में अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर से धक्कामुक्की की समाचारपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। प्रमाण ऐनेक्श्चर पी/3 पृष्ठ संलग्न प्रस्तुत है।

7– यह कि, प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रमाण प्रस्तुत किया है और भी अनेक भ्रष्टाचार के प्रमाण है। क्या ऐसे भ्रष्ट जज के विरूद्ध प्रमाण सहित समाचार प्रकाशित करना अपराध है?

8– यह कि, प्रार्थी माननीय न्यायालय का सम्मान करता है और जीवन पर्यनत करूंगा। मेरे समाचारपत्र में जो भी इबारत छपी है उसके प्रमाण प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में पूर्व में दिनांक 22–06–2011 को जवाब के साथ प्रस्तुत किये हैं उसके बावजूद भी यदि माननीय उच्च न्यायालय प्रार्थी की गलती मानते हैं तो प्रार्थी माननीय न्यायालय के सम्मान में बिना किसी संकोच के क्षमा याचना करता है।

–:प्रार्थना:–

माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी के विरूद्ध जारी कन्टेम्पट का नोटिस प्रकरण क्रमांक 7/2011 न्यायहित में निरस्त करने की कृपा करे।

इति दिनांक 26–7–2011

प्रार्थी

सुमन सिंहसिकरवार

<u>सत्यापन:</u>

मैं, सुमनसिंह सिकरवार पुत्र स्व0 श्री प्रेमसिंह सिकरवार, उम्र 42 वर्ष, संपादक चम्बलवाणी समाचारपत्र निवासी शिन्दे की छावनी, लश्कर ग्वालियर एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त एडीशनल जवाब के पद क्रमांक 1 लगायत 8 में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सप्रमाण सत्य व सही है इसमें कुछ भी असत्य नही है न छिपाया है।

स्थान सत्यापन लश्कर ग्वालियर

दिनांक: 26–07–2011 सुमनसिंह सिकरवार

सत्यापनकर्ता

Affidavit dated 09.09.2011

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

प्रकरण क्रमांक <u>01/2014</u> क्रिमिनल कन्टेम्प्ट

इन रिफरेन्स

––आवेदक

विरुद्ध

सुमन सिंह सिकरवार, संपादक,

दैनिक चम्बल वाणी, ग्वालियर

––अनावेदक

शपथ–पत्र Dated -09-09-2011

मैं, सुमनसिंह सिकरवार, उम्र 42 साल, पुत्र स्व0 श्री प्रेमसिंह भाई, निवासी शिन्दे की छावनी, लश्कर ग्वालियर म0प्र0 उक्त प्रकरण लंबित रहने के दौरान मुझ अनावेदक/शपथकर्ता को प्राप्त जानकारी/सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने पर एडीशनल जबाव प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ। जो शपथ पर निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1–यह कि, अनावेदक द्वारा जो भी समाचार छापा है वह प्रमाण सहित प्रकाशित किया है। समर्थन में शपथपत्र पर जबाव प्रस्तुत किया है, किन्तु माननीय न्यायमूर्ती श्री एन0के0मोदी जी द्वारा जो भी अनियमितता की उनकी ना तो जॉच की गई और ना ही उन्हें दण्डित किया। बल्कि शिकायतकर्ता के विरूद्व उल्टा कन्टेम्प्ट की कार्यवाही की। माननीय श्री अन्ना हजारे जी का यही कहना है कि भ्रष्टाचार की शिकायत या उजागर करने वाले ही को परेशान किया जाता हैं।

2–यह कि, माननीय न्यायमूर्ती श्री एन0के0मोदी जी ने ग्वालियर रोस्टर जो याचिका सुनवाई का था उसमें पुत्र श्री अंकुर मोदी ने अभिभाषक महेश गोयल को याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी. क्रमांक 2262/2011 में उपस्थिति कराया (जबकि याचिका श्री हरेन्द्र शर्मा एडवोकेट ने पेश की, उन्हें ऐसी सहायता कोर्ट से प्राप्त नहीं हो सकती थी) एफ0आई0आर0 क्रिमिनल केस नं0 06/2011 धारा 498ए, 506 एवं धारा 34 आई0पी0सी0 के अपराध कों समाप्त Quashment की थी। जो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उसे धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत याचिका प्रस्तुत करना थी। किन्तु माननीय न्यायमूर्ति श्री मोदी जी का क्रिमिनल रोस्टर नहीं था। सहायता रिट पिटीशन में ही प्राप्त करना थी। उनके पुत्र श्री अंकुर मोदी ने प्रकरण बुक किया था। माननीय न्यायमूर्ति श्री एन0के0मोदी जी ने रिट पिटीशन क्रमांक 2262/2011 (क्रिमि.) लिखकर अपने अधिकारों का दुरूप्योग कर अपने चहेते श्री महेश गोयल जिसे श्री अंकुर मोदी ने उपस्थिति कराया था, पुलिस को 06–04–2011 को आदेश दिया कि दो माह जॉच होने तक गिरफ्तार नहीं करे।

आदेश की फोटोकॉपी **<u>ऐनेक्श्चर – ए</u>** प्रस्तुत है।

3–यह कि, भ्रष्टाचार व पद का दुरुपयोग यहॉ तक ही सीमित नहीं रहा । इसी अपराध के प्रकरण में ढाईलाख में गारण्टी से जमानत का ठेका श्री अंकुर मोदी असिस्टेण्ट सोलीसीटर जनरल यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने अभियुक्त संजय गुप्ता से लिया। जमानत आवेदन दिनांक 05/08/2011 को श्री अंकुर मोदी ने सत्र न्यायालय ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 1691/2011 बी0ए0 दर्ज हुआ। प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय को सुनवाई हेतु दिनांक 08/08/2011 को भेजा जा रहा था, उसी समय फरियादी आरती गुप्ता के वकील ने अपना मेमो प्रस्तुत कर बताया कि अन्य अभियुक्तगण की सुनवाई प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर द्वारा की गई है तो प्रकरण उक्त न्यायालय में सुनवाई हेतु भेजा गया दिनांक 09/08/2011 को तर्क उपरांत जमानत आवेदन खारिज हुआ। उक्त जमानत आवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 06/04/2011 की प्रति प्रस्तुत नहीं की। उक्त आदेश का यह फायदा उठाना चाहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दो माह तक गिरफ्तार ना करे का आदेश दिया जा चुका है। इसलिये कोई प्रकरण बनता ही नहीं है। माननीय न्यायमूर्ति श्री एन0के0 मोदी के साथ उनके पुत्र श्री अंकुर मोदी ने भी अपने पद का दुरूपयोग के साथ प्रोफेशनल मिसकण्डक्ट भी किया। पिता जज की हैसियत से गिरफ्तार ना करने का आदेश दे रहे हैं और पुत्र अभियुक्त का जमानत आवेदन लगा रहे हैं। यह तो इसी वर्ष का एक उदाहरण है।

जिसकी सत्य प्रति की फोटोकॉपी **<u>प्रदर्श–"बी"</u>** प्रस्तुत है।

4–यह कि, माननीय न्यायमूर्ति श्री एन0के0मोदी जी के विरूद्व इन्दौर बैंच में भी पद का दुरूपयोग करने का समाचार दैनिक समाचारपत्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ है जिसकी छायाप्रति **<u>प्रदर्श– "सी"</u>** प्रस्तुत हैं।

5–यह कि, माननीय न्यायमूर्ती श्री एन0के0मोदी जी ने शिवाजी गृहनिर्माण सहकारी समिति मर्यादित ग्वालियर का अध्यक्ष एक अपराधी पूरन शिवहरे जो जज श्री मोदी

जी का मुख्त्यारखास है, उसे बनवाया, उसके वकील श्री अंकूर मोदी है। समिति में भ्रष्टाचार की जॉच उपरांत कारण बताओ सूचनापत्र प्राप्त होने पर पूरन शिवहरे की ओर से वकालतनामा श्री अंकुर मोदी ने पेश किया।
जिसकी फोटोकॉपी **प्रदर्श– "डी"** हैं।
6–यह कि, शिवाजी गृहनिर्माण सहकारी समिति मर्यादित ग्वालियर से श्रीमती शीला मोदी पत्नी एन0के0 मोदी ने एवं मॉ श्रीमती जयवन्ती देवी मोदी पत्नी स्व0 श्री मदनलाल मोदी, पारखजी का बाड़ा, बहनोई श्री राजेन्द्र शाह ने भूखण्ड प्राप्त किये जो लाखों रूपये के है। क्या उक्त संपत्ति को जज श्री मोदी जी ने घोषित की।
7– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री मार्कण्डेय काटजू एवं माननीय ज्ञान सुधा मिश्रा जी द्वारा ऐसे अभिभाषक जो दो चार वर्षों की वकालत में लाखों रूपये की कार मेन्टेन करते हैं। अंकल जजों की कृपा से वकालत चलती है ऐसे ही वकील श्री अंकुर मोदी हैं, जिन्हें उनके पिता जज श्री एन.के.मोदी एवं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कृपा से भृष्टाचार कर, अल्पायु में लाखों कमा रहे हैं और इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नही हो रही है क्यों?
8–यह कि, श्रीमान स्पेशल जज ग्वालियर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध जॉच के आदेश दिनांक 27–04–1994 को विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ग्वालियर ने प्रकरण अपराध क्रमांक जॉच–3/96 पंजीकृत किया। जॉच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने पर श्रीमान् न्यायालय ने आदेश दिनांक 21–12–1999 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के पालन में श्री एन. के. मोदी एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 13(1) डी, 13ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं 109,120बी, 167,218,420,468 भारतीय दण्ड विधान दिनांक 22–12–1000 को पंजीबद्ध हुआ। विवेचना के अनुक्रम में उक्त देहाती नालिश पर से थाना विशेष पुलिस स्थापना भोपाल में असल अपराध 141/99 दिनांक 23–12–00 को पंजीबद्ध हुआ। उक्त अपराध में मुख्य अभियुक्त श्री एन.के.मोदी ही थे। और इस प्रकरण की प्रकृति काफी गंभीर थी। जो काफी जगह न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद आरोप पंजीबद्ध हुआ। ऐसे में कैसे मान लिया जा सकता है कि वकील एवं हाईकोर्ट जज का उम्मीदवार मुख्य आरोपी होने के बाद बावजूद न्यायालयों को गुमराह कर बच जाये।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी आवेदक के विरूद्ध कन्टेम्प्ट प्रकरण न्यायहित में निरस्त करने की कृपा करें।

इति दिनांक 09–09–2011 शपथकर्ता अनावेदक

सुमनसिंह सिकरवार

सत्यापनः

मैं, सुमनसिंह सिकरवार शापथ कर्ता शापथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त एडीशनल जवाब/ शपथपत्र पद 1 लगायत 8 में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान व सप्रमाण विश्वास से सत्य व सही है इसमें कुछ भी असत्य नही है न छिपाया है।

स्थान सत्यापन लश्कर ग्वालियर
दिनांकः09–09–2011 सत्यापनकर्ता"

10. In his initial reply dated 20.6.2011, he had even demanded that action be initiated against Judge Shri Mody and the matter be forwarded to the Supreme Court, thus had tried to justify his stand of publishing

news item in his daily newspaper 'Dainik Chambal Vani' dated 11.4.2011. In his reply, nowhere respondent-contemnor had sought any apology and it was only in the reply submitted on 20.6.2011, he had in so many words tried to seek apology and that too in the eventuality if he is held guilty and after leveling several allegations against Judge Shri Mody.

11. From the aforesaid, it appears that the respondent being Editor of the daily newspaper had deliberately made comments upon a particular judge, other judges and their judgments and looking to the comments it cannot be said that they are in the nature of mere dispassionate criticism of the judges, their working and their judgments, but are couched in intemperate language and use of undesirable expletives, thus, it appears that it was an intentional attempt made by the respondent-contemnor to scandalise the image of a Judge of this Court as well as other Judges which clearly falls within the definition of section 2 (c) of The Contempt of Courts Act, 1971. Recently, Hon'ble Apex court in the case of Prashant Bhushan in reference to the suo moto contempt petition reported in (2021) 1 SCC 745 has considered the definition of section 2 (c) of the Contempt of Court Act, 1971 and has held as under:-

> *"56. It could thus be seen, that it has been held by this Court, that hostile criticism of judges as judges or judiciary would amount to scandalizing the Court. It has been held, that any personal attack upon a judge in connection with the office he holds is dealt with under law of libel or slander. Yet defamatory publication concerning the judge as a judge brings the court or judges into contempt, a serious impediment to justice and an inroad on the majesty of justice. This Court further observed, that any caricature of a judge calculated to lower the dignity of the court would destroy, undermine or tend to undermine public confidence in the administration of*

> *justice or the majesty of justice. It has been held, that imputing partiality, corruption, bias, improper motives to a judge is scandalisation of the court and would be contempt of the court.....”*

12. Further, the Hon'ble Supreme Court in the case of D.C. Saxena (Dr) vs. Hon'ble The Chief Justice of India reported in (1996) 5 SCC 216 deprecated the growing tendency to scandalise the court, which by itself constituted 'contempt of court'. The Court observed thus:

> *"40. Scandalising the court, therefore, would mean hostile criticism of judges as judges or judiciary. Any personal attack upon a judge in connection with the office he holds is dealt with under law of libel or slander. Yet defamatory publication concerning the judge as a judge brings the court or judges into contempt, a serious impediment to justice and an inroad on the majesty of justice. Any caricature of a judge calculated to lower the dignity of the court would destroy, undermine or tend to undermine public confidence in the administration of justice or the majesty of justice. It would, therefore, be scandalising the judge as a judge, in other words, imputing partiality, corruption, bias, improper motives to a judge is scandalisation of the court and would be contempt of the court. Even imputation of lack of impartiality or fairness to a judge in the discharge of his official duties amounts to contempt. The gravamen of the offence is that of lowering his dignity or authority or an affront to the majesty of justice. When the contemnor challenges the authority of the court, he interferes with the performance of duties of judge's office or judicial process or administration of justice or generation or production of tendency bringing the judge or judiciary into contempt. Section 2(c) of the Act, therefore, defines criminal contempt in wider articulation that any publication, whether by words, spoken or written, or by signs, or by visible representations, or otherwise of any matter or the doing of any other act whatsoever which scandalises or tends to scandalise, or lowers or tends to lower the authority of any court; or prejudices, or interferes or tends to interfere with, the*

> *due course of any judicial proceeding; or interferes or tends to interfere with, or obstructs or tends to obstruct, the administration of justice in any other manner, is a criminal contempt. Therefore, a tendency to scandalise the court or tendency to lower the authority of the court or tendency to interfere with or tendency to obstruct the administration of justice in any manner or tendency to challenge the authority or majesty of justice, would be a criminal contempt. The offending act apart, any tendency if it may lead to or tends to lower the authority of the court is a criminal contempt. Any conduct of the contemnor which has the tendency or produces a tendency to bring the judge or court into contempt or tends to lower the authority of the court would also be contempt of the court."*

13. A Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court in the case of Shri Baradakanta Mishra vs. Registrar of Orissa High Court and others, reported in (1974) 1 SCC 374 has held as under:

> *"49. Scandalisation of the Court is a species of contempt and may take several forms. A common form is the vilification of the Judge. When proceedings in contempt are taken for such vilification the question which the Court has to ask is whether the vilification is of the Judge as a judge. (See Queen v. Gray), [(1900) 2 QB 36, 40] or it is the vilification of the Judge as an individual. If the latter the Judge is left to his private remedies and the Court has no power to commit for contempt. If the former, the Court will proceed to exercise the jurisdiction with scrupulous care and in cases which are clear and beyond reasonable doubt. Secondly, the Court will have also to consider the degree of harm caused as affecting administration of justice and, if it is slight and beneath notice, Courts will not punish for contempt. This salutary practice is adopted by Section 13 of the Contempt of Courts Act, 1971. The jurisdiction is not intended to uphold the personal dignity of the Judges. That must rest on surer foundations. Judges rely on their conduct itself to be its own vindication.*

> *50. But if the attack on the Judge functioning as a judge substantially affects administration of justice it becomes a public mischief punishable for contempt, and it matters not whether such an attack is based on what a judge is alleged to have done in the exercise of his administrative responsibilities. A judge's functions may be divisible, but his integrity and authority are not divisible in the context of administration of justice. An unwarranted attack on him for corrupt administration is as potent in doing public harm as an attack on his adjudicatory function."*

14. Thus, looking at the news item in question published by the respondent-contemnor in the daily newspaper 'Dainik Chambal Vani' on 11.4.2011 coupled with the definition of criminal contempt of court defined in Section 2 (c) of Criminal Contempt of Courts Act, 1971, the act done by respondent-contemnor clearly falls within the definition of criminal contempt of court. Under these circumstances he is held guilty of criminal contempt as defined under section 2 (c) of the Contempt of Courts Act, 1971, therefore, he is liable to be punished under Section 12 of The Contempt of Courts Act, 1971.

15. Heard on the question of punishment.

16. On being asked to address the quantum of punishment to be awarded to him, the respondent-contemnor who is present in person submitted his oral apology with further submission that he may be permitted to withdraw his pleadings with regard to merits of the reply. It is submitted that his unconditional apology may be accepted as of now for nearly a decade he is fighting for proving his innocence and now at this late juncture he does not want to continue with his stand.

17. The respondent party in person has submitted that whatever apology he has made in the reply/application, the same may be considered. As he has already been held guilty of criminal contempt as

defined u/s. 2 (c) of the Contempt of Courts Act, 1971, the language which is used by him in his reply, additional reply and affidavits and the allegations leveled against the Hon'ble Judges in the news items repeatedly despite various warnings having been given to him, coupled with the fact that he had not even bothered to tender any written unconditional apology before this Court even at this stage, therefore, this Court while exercising powers under Article 215 of the Constitution deems it appropriate to impose punishment upon him.

18. In this regard, reference can be had of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vijay Kurle, In re, (2021)13 SCC 616 wherein it is held :

> *"11. Samaraditya Pal in The Law of Contempt [Pp. 9-10, The Law of Contempt : Contempt of Courts and Legislatures, 5th Edn., LexisNexis Butterworths Wadhwa, Nagpur (2013)] has very succinctly stated the legal position as follows:*
>
> *"Although the law of contempt is largely governed by the 1971 Act, it is now settled law in India that the High Courts and the Supreme Court derive their jurisdiction and power from Articles 215 and 129 of the Constitution. This situation results in giving scope for "judicial self-dealing"."*
>
> *12. The High Courts also enjoy similar powers like the Supreme Court under Article 215 of the Constitution. The main argument of the alleged contemnors is that notice should have been issued in terms of the provisions of the Contempt of Courts Act and any violation of the Contempt of Courts Act would vitiate the entire proceedings. We do not accept this argument. In view of the fact that the power to punish for contempt of itself is a constitutional power vested in this Court, such power cannot be abridged or taken away even by legislative enactment."*

19. In Re: Perry Kansagra (2022 SCC OnLine SC 1516), the Hon'ble Supreme Court held as under :-

> *"24. It is now well settled that the power of the Supreme Court to punish for contempt is not confined to the procedure under the Contempt of Courts Act. In Pallav Sheth vs Custodian (2001) 7 SCC 549, this Court held that:—*
>
> *"30. There can be no doubt that both this Court*

and High Courts are courts of record and the Constitution has given them the powers to punish for contempt. The decisions of this Court clearly show that this power cannot be abrogated or stultified. But if the power under Article 129 and Article 215 is absolute, can there by any legislation indicating the manner and to the extent that the power can be exercised? If there is any provision of the law which stultifies or abrogates the power under Article 129 and/or Article 215, there can be little doubt that such law would not be regarded as having been validly enacted. It, however, appears to us that providing for the quantum of punishment or what may or may not be regarded as acts of contempt or even providing for a period of limitation for initiating proceedings for contempt cannot be taken to be a provision which abrogates or stultifies the contempt jurisdiction under Article 129 or Article 215 of the Constitution."

25. The above said principle is followed in Re : Vijay Kurle (supra), where this Court reiterated the above referred principle and held as under:—

"38. The aforesaid finding clearly indicates that the Court held that any law which stultifies or abrogates the power of the Supreme Court under Article 129 of the Constitution or of the High Courts under Article 215 of the Constitution, could not be said to be validly enacted. It however, went on to hold that providing the quantum of punishment or a period of limitation would not mean that the powers of the Court under Article 129 have been stultified or abrogated. We are not going into the correctness or otherwise of this judgment but it is clear that this judgment only dealt with the issue whether the Parliament could fix a period of limitation to initiate the proceedings under the Act. Without commenting one way or the other on Pallav Seth's case (supra) it is clear that the same has not dealt with the powers of this Court to issue suo motu notice of contempt.

39. In view of the above discussion we are clearly of the view that the powers of the Supreme Court to initiate contempt are not in any manner limited by the provisions of the Act. This Court is vested with the constitutional powers to deal with the contempt. Section 15 is not the source of the power to issue notice for contempt. It only provides the procedure in which such contempt is to be initiated and this procedure provides that there are three ways of initiating a contempt - (i) suo motu (ii) on the motion by the Advocate General/Attorney General/Solicitor General and (iii) on the basis of a petition filed by any other person with the consent in writing of the Advocate General/Attorney

> *General/Solicitor General. As far as suo motu petitions are concerned, there is no requirement for taking consent of anybody because the Court is exercising its inherent powers to issue notice for contempt. This is not only clear from the provisions of the Act but also clear from the Rules laid down by this Court."*

20. In similar circumstances, a Division Bench of Jabalpur Bench of this Court in Contempt Petition (Criminal) No.11 of 2012 (Mukesh Kumar Agrawal vs. Shri Gulab Kothari, Managing Director cum Owner, Patrika Daily Newspaper and others) by order dated 17.08.2023 has passed the following order:-

> *"(i) The respondents No.2 and 3 shall pay the fine of Rs.4,000/- (Rs.2,000/- each) before the Registry of this Court within fifteen days from the date of receipt of a copy of this order, failing which they are directed to undergo simple imprisonment for a period of ten days.*
>
> *(ii) The respondents No.2 and 3 shall deposit the cost of Rs.2,00,000/- (Rs.1,00,000/- each) before the Madhya Pradesh High Court Employees Association, Jabalpur (S.B. A/c No.519302010000235, Union Bank of India, High Court Branch, Jabalpur) within fifteen days from the date of receipt of a copy of this order."*

21. The aforesaid order has been affirmed by the Hon'ble Supreme Court by an order dated 24.11.2023 passed in Special Leave to Appeal (Crl.) No.14678 of 2023 (Dhananjay Pratap Singh and another vs. Mukesh Kumar Agrawal).

22. For the aforementioned reasons and considering the law laid down by Hon'ble Supreme Court in the aforesaid matters, we are of the considered view that imposing fine and cost on the respondent Contemnor instead of sending him to jail would be a just and appropriate punishment. Hence, we pass the following orders:-

(i) Respondent-contemnor is held guilty of committing a criminal contempt as defined u/s 2(c) of the Contempt of

Courts Act, 1971;

(ii) The respondent-contemnor shall pay a fine of Rs.2,000/- before the Registry of this Court within a period of 10 days from today, failing which he shall undergo simple imprisonment for a period of 10 days and further, he is warned to remain cautious in future.

(iii) The respondent-contemnor shall pay costs of Rs.1,00,000/- with the M.P. High Court Bar Association, Gwalior (SB A/c No.326802012000285, IFSC CODE: UBIN0563561, Union Bank of India, Branch High Court, Gwalior) within a period of one month from today.

23. Accordingly, the present contempt petition (criminal) is disposed off finally.

(RAVI MALIMATH)
CHIEF JUSTICE

(MILIND RAMESH PHADKE)
JUDGE

ar

ABDUR RAHMAN
2024.05.08
11:02:03 +05'30'